न्यायालय— सिविल जज (सी०डि०), तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 11/2017
CIS No. :— TS-11/2017

हरख नारायण साह बनाम **बिपत दिसवा एवं अन्य**

दिनांक—11.01.2021

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) दिनांक—01.10.2020 पर सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदिका शुशिला देवी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी०पी०सी० इस आशय का दिया गया है कि विवादित भूमि को सरल साह ने जरिये बैनामा दिनांक 22.03.1976 को क्रय किया है। सरल साह को एक पुत्र व एक पुत्री है। आवेदिका सरल साह की पुत्री है। वादी ने जान बुझकर सरल साह की पुत्री को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने बयान तहरीरी में सरल साह की पुत्री का उल्लेख किया गया है। आवेदिका को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया जाना नितांत आवश्यक है। अत: न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) दिनांक—01.10.2020 को स्वीकृत करते हुए आवेदिका को प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोड़ने की कृपा की जाये।

वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है।

आवेदिका द्वारा जिस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह आधार पर्याप्त है। आवेदिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) दिनांक—01.10.2020 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) दिनांक—01.10.2020 स्वीकार किया जाता है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि आवेदिका शुशिला देवी का नाम प्रतिवादी कालम में अंकित करे। अभिलेख अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 22.01.2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज (सी०डि०) तृतीय
न्यायालय कक्ष—4, नरकटियागंज।